

राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

<<उप-मंडल>> : <<जिला>>जिला

अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणपत्र सं. <<प्रमाणपत्र सं.>>

दिनांक : <<डिजिटल हस्ताक्षर की तारीख>>

लाभार्थी

का

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि <<श्री/श्रीमती/कु.>> <<आवेदक का नाम>> <<पुत्र/पुत्री/पत्नी>> श्री <<पिता/पति का नाम>> <<ग्राम/शहर>> के <<ग्राम/शहर का नाम>> के <<जिला/मंडल>> <<जिला/मंडल का नाम>><<राज्य/संघ शासित क्षेत्र>> <<राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम>> की जाति<<जाति/उप जाति का नाम>>से संबंधित हैं जो <<राज्य/संघ शासित क्षेत्र>> में निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :

<<संविधान (अनुसूचित जनजाति) का आदेश, 1950>>;<<संविधान (अनुसूचित जनजाति) (यूटी) का आदेश, 1951>>[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची (संशोधित आदेश) 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991, संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा यथासंशोधित]

<<संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनु.ज.जा. आदेश, 1959>>;

[अनु.जा. और अनु.ज.जा. आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित]

<<संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनु.ज.जा. आदेश, 1962>>; <<संविधान (यूपी) अनु.ज.जा. आदेश, 1967>>; <<संविधान (नागालैंड) अनु.ज.जा. आदेश, 1970>>; <<संविधान (सिक्किम) अनु.ज.जा. आदेश, 1978>>; <<संविधान (जे एंड के) अनु.ज.जा. आदेश, 1989>>; [संविधान (अनु.ज.जा.) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा यथासंशोधित]

यह प्रमाणपत्र <<श्री/श्रीमती/कु.>> <<आवेदक के सम्बंधी का नाम>> <<पुत्र/पुत्री/पत्नी.>> <<पिता/पति का नाम>>, <<आवेदक के साथ सम्बंध>><<आवेदक का नाम>> <<ग्राम/शहर>> के <<ग्राम/शहर का नाम>> के <<जिला/मंडल>> <<जिला/मंडल का नाम>> <<राज्य/संघ शासित क्षेत्र>> <<राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम>> की जाति<<जाति/उप जाति का नाम>>से संबद्ध हैं जो <<राज्य/संघ शासित क्षेत्र>> में <<उस राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के जारी करने वाले प्राधिकारी>> के द्वारा <<प्रमाणपत्र संख्या>> के अंतर्गत दिनांक <<जारी करने की तारीख>> को जारी किया जाता है।

<<श्री/श्रीमती/कु.>> <<आवेदक का नाम>>और/अथवा उसका/उसकी परिवार सामान्यतः <<ग्राम/शहर>> <<ग्राम/शहर का नाम>> <<जिला/मंडल का नाम>> <<जिला/मंडल>> <<राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम>> <<राज्य/संघ शासित क्षेत्र>> में निवास करता है।

डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित : <<प्राधिकारी का नाम>>

पदनाम : <<प्राधिकारी का पदनाम>>

स्थान : <<हस्ताक्षर करने का स्थल>>

हस्ताक्षर करने की तारीख और समय : <<हस्ताक्षर की तारीख और समय>>

1. यह प्रमाण-पत्र, समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुरूप वैध है।
2. इस प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता की जांच "<<सत्यापन के लिए वेब एड्रेस>>" से की जा सकेगी। इस दस्तावेज के विवरणों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से तुलना करने पर किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में इसे अवैध माना जाएगा।
3. सत्यता की जांच का दायित्व दस्तावेज के उपयोगकर्ता का है।
4. किसी विसंगति की स्थिति में कृपया इस प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करें।